(ख) क्या यह भी सच है कि इससे कलाकारों और प्रतिभावान व्यक्तियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी ;

(ग) वर्तमान में दूरदर्शन द्वारा स्वयं तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों का प्रतिशत कितना है ; और

(घ) वर्तमान में दूरदर्शन के विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है और उन्हें किन-किन स्रोतों से भरा जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन प्रतिदिन लगभग ग्यारह घंटे के कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। तथापि, साधनों और जन शक्ति की तंगी को देखते हुए फिलहाल प्रसारण समय को बढ़ाकर के 18 घंटे प्रतिदिन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) केन्द्रों में निर्मित कार्यक्रमों का प्रतिशत प्रत्येक केन्द्र के लिए भिन्न-भिन्न है। तथापि, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली में, जो दूरदर्शन का प्रमुख कार्यक्रम निर्माण केन्द्र है; लगभग 68 प्रतिशत कार्यक्रम वहां पर ही तैयार किए जाते हैं।

(घ) इस समय दूरदर्शन में विभिन्न संवर्गों के लगभग 1910 पद रिक्त हैं। ये रिक्त पद सम्बद्ध भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हताओं और पात्रता के अन्य मापदंडों के अनुसार भरे जाने हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिये निर्धारित किए गये मानदण्डों के अनुरूप दूरदर्शन का कार्यकरण

100. **श्री कपिल वर्मा :**

श्रीमती वीणा वर्मा :

श्रीमती कैलाशपति :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पिछले चार पांच महीनों के दौरान वर्तमान सरकार द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानदण्ड के अनुरूप कार्य कर कर पाया है, यदि हां, तो वे मानदंड क्या-क्या हैं ; और

(ख) क्या दूरदर्शन अपने तंत्र का संचालन गैर-पेशेवर आधार पर करने का विचार कर रहा है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) सरकार की यह घोषित नीति है कि सरकार के संचार माध्यम, विशेषतया दोनों इलैक्ट्रानिक माध्यम किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना वस्तुपरक, निष्पक्ष और व्यावसायिक ढंग से काम करें ताकि वे उन सामाजिक उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त कर सकें जिनके लिए वे स्थापित किए गए हैं। सरकार को इस बात का गर्व है कि इन सिद्धांतों का कड़ाई के साथ पालन करने से गत कुछ महीनों के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन की कार्य निष्पादन और विश्वसनीयता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। दूरदर्शन, पिछले पांच महीनों से व्यावसायिक तरीके से कार्य कर रहा है। सरकार ने संसद में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक, 1989 भी प्रस्तुत किया है। जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को एक पूर्ण स्वायत्त स्तर प्रदान करने का प्रावधान है ताकि वे बराबर व्यावसायिक तरीके से कार्य करते रहें।

Advisory Board for Doordarshan and All India Radio

101. SHRI KAPIL VERMA:

SHRIMATI VEENA VERMA:

SHRIMATI KAILASHPATI:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have finalised the Advisory Board for Doordarshan and All India Radio;